

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं.पीसी-VI/300

सं.पीसी-VI/2008/आई/5/2



आरबीई सं.101/2012

दिल्ली, दिनांक 13.09.2012

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलवे),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार).

विषय : भारतीय रेलों के राजभाषा विभाग के कर्मचारियों के लिए
संशोधित वेतन संरचना का नियतन.

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय रेलों के राजभाषा विभाग के कर्मचारियों की संशोधित वेतन संरचना, बोर्ड के 11.9.2008 तथा 19.11.2008 के पत्र सं. पीसी-VI/2008/आई/आरएसआरपी/1 के माध्यम से अधिसूचित की गई थी. उपर्युक्त कर्मचारियों की वेतन संरचना में सुधार करने के बारे में मांग की जा रही थी और विभागीय विसंगति समिति के समक्ष भी दोनों फेडरेशनों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था.

2. क्षेत्रीय रेलों के राजभाषा विभाग के कर्मचारियों के इस मुद्दे की वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से जांच की गई है और राष्ट्रपति जी ने इस संबंध में निम्नानुसार निर्णय किया है :

- (क) राजभाषा सहायक ग्रेड II का ग्रेड वेतन पीबी-1 में 2800/-रुपए से बढ़ाकर पी बी-2 में 4200/- रुपए किया जाएगा और इसे राजभाषा सहायक ग्रेड-1 के साथ मर्ज कर दिया जाएगा. मर्ज किए गए ग्रेड को कनिष्ठ अनुवादक के रूप में पदनामित किया जाएगा.
- (ख) भविष्य में भर्ती, 100% सीधी भर्ती के माध्यम से 4200/-रुपए के ग्रेड वेतन के ग्रेड में अर्थात् कनिष्ठ अनुवादक के ग्रेड में की जाएगी और एन्ट्री ग्रेड (कनिष्ठ अनुवादक) की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर डिग्री रखी जाएगी. इस संबंध में स्थापना निदेशालय द्वारा विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे.
- (ग) पी बी-2 ग्रेड वेतन 4600/- रुपए में राजभाषा अधीक्षक के मौजूदा ग्रेड को अब मौजूदा वेतन संरचना में वरिष्ठ अनुवादक के रूप में पदनामित किया जाएगा.
- (घ) मौजूदा पदधारियों को निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता पूरी करने के अध्यक्षीन उच्चतर ग्रेड में रखकर राजभाषा सहायक ग्रेड II को समाप्त कर दिया जाएगा :
(1) डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अथवा हिंदी एक अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के साथ अथवा परीक्षा के माध्यम के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इसके समकक्ष हो.



26
25/9

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी से इतर किसी विषय में हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम के साथ स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इसके समकक्ष और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अथवा हिंदी एक अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय अथवा परीक्षा का माध्यम हो.

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी से इतर किसी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इसके समकक्ष और डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय हो अथवा इन दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय हो.

और

(II) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी के अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रमों सहित केंद्र अथवा राज्य सरकारों के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी अथवा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव हो.

(ड.) उन कर्मचारियों, जो ऊपर उल्लिखित अपेक्षित अर्हता पूरी नहीं करते हैं, को उच्चतर ग्रेड में तभी रखा जाएगा जब वे 4500-7000 रुपए (संशोधन पूर्व)/पीबी-1 ग्रेड वेतन 2800/-रुपए के वेतनमान के निम्नतर ग्रेड में छः वर्ष की नियमित सेवा पूरी करेंगे.

(च) यह लाभ भावी प्रभाव (Prospective Basis) से अर्थात् इन आदेशों के जारी होने की तारीख से प्रदान किया जाएगा.

3. इसे रेल मंत्रालय के स्थापना निदेशालय के परामर्श से और वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

(हरि कृष्ण)

निदेशक, वेतन आयोग II

रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 13.09.2012

सं.पीसी-VI/2008/आई/5/2

प्रतिलिपि : भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित).

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

**BHARAT SARKAR/GOVERNMENT OF INDIA
RAIL MANTRALAYA/MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

S.No.PC-VI/300
No. PC-VI/2008/I/5/2

RBE No.101/2012
New Delhi, dated 13 .9.2012

**The GMs/CAOs(R),
All Indian Railways & Production Units
(As per mailing list)**

**Sub : Allotment of revised pay structure for Official Language
staff of Indian Railways.**

Based on the recommendations of 6th Central Pay Commission, the revised pay structure of Rajbhasha staff of Zonal Railways was notified vide Board's letter No.PC-VI/2008/I/RSRP/1 dated 11.9.2008 and 19.11.2008. There have been demands regarding improvement in the pay structure of above staff and an item has been raised by both the Federations before Departmental Anomaly Committee also.

2. The issue of Rajbhasha Staff of Zonal Railways has been examined in consultation with Ministry of Finance (Department of Expenditure). The President is pleased to decide as under:-

- a) The Grade Pay (GP) of Rajbhasha Sahayak Gr.II would be upgraded from Rs.2800/- in PB-1 to that of GP of Rs.4200/- in PB-2 and it would be merged with Rajbhasha Sahayak Gr.I. The merged Grade would be designated as Jr. Translator.
- b) The future recruitment will be in the grade of GP Rs.4200/- i.e. the grade of Jr. Translator through 100% direct recruitment and the educational qualification of the entry Grade (Jr. Translator) would be kept as Master's Degree. Detailed instructions in this regard will be issued by Establishment Directorate separately.
- c) The existing Grade of Rajbhasha Supdt. in PB-2 GP Rs.4600 will henceforth be designated as Sr. Translator in the existing pay structure.
- d) The grade of Rajbhasha Sahayak Gr.II would be phased out by placing the existing incumbents in the higher grade subject to fulfillment of educational qualification as below:

(I) Master's degree of a recognized University or equivalent in Hindi or English with English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level.

or



Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi or English medium and English or Hindi as compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level.

or


Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects of either or the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level.

and

(II) Recognized Diploma or Certificate Course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government offices, including Government of India Undertaking.

- e) Those who do not possess the requisite qualification as above may be placed in the higher grade only on completion of six years of regular service in the lower grade in pay scale Rs.4500-7000(pre-revised)/PB-1 GP Rs.2800.
- f) The benefit would be extended on prospective basis i.e. from the date of issue of these orders.

3. This issues in consultation with the Establishment Directorate and with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.




(Hari Krishan)

Director, Pay Commission-II,
Railway Board.

No. PC-VI/2008/I/5/2

New Delhi, dated 13.9.2012

Copy to Dy. Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares).



for Financial Commissioner/Railways.